संख्या- 89 /2016/827/22-4-16-48(9)/10

प्रेषक,

आर0के0 दिवदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 30 जून, 2016

विषय- जिला कारागार, मुरादाबाद को शहर की घनी आबादी के बाहर स्थानान्तरित किये जाने तथा नवीन जिला कारागार, मुरादाबाद के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17213/नम-2, दिनांक-03 जनू, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुरादाबाद को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु नवीन जिला कारागार के निर्माण के लिए ग्राम- सिरस खेड़ा, जनपद मुरादाबाद के 136 कृषकों की 40.334 हे0 भूमि की रजिस्ट्री श्री राज्यपाल महोदय के पक्ष में कराने हेतु वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, मुरादाबाद को नामित करने तथा रू0 20,000/- प्रति रजिस्ट्री की दर से 136 कृषकों से रजिस्ट्री कराये जाने हेतु कुल रू0 27,20,000/-(रूपया सत्ताइस लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस निमित्त होना वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ओर उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-89/2016/827(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।